Rs.5 5रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल कैम्प ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी PBR/निगरानी/आगरमालवा/भू-रा/2017/2815

अब्दुल मुत्तलीफ शेरवानी पिता अब्दुल रऊफ,
निवासी– हवेली मोहल्ला, सुसनेर, जिला
आगर–मालवा (म.प्र.)

––– आवेदक

विरूद्ध

1 अब्दुल वहीद पिता अब्दुल रऊफ

2 अख्तर शेरवानी पिता अब्दुल रऊफ
निवासीगण– 425, एफ.एच. स्कीम नंबर 64,
विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)

––– अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर नलखेड़ा जिला आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 9/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16/06/2017 से क्षुब्ध एवं दुखित होकर अंदर अवधि सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि, अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें उनके विरूद्ध पार्टिशन की डिक्री दी गई। उक्त डिक्री प्रारंभिक डिक्री मानी जाती है जिसका प्रवर्तन कलेक्टर महोदय के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। कलेक्टर महोदय संबंधित तहसीलदार को अंतिम डिक्री पारित करने हेतु भेजा जाता है परंतु इस प्रकरण में तहसीलदार महोदय के समक्ष सीधे डिक्री के आधार पर नामांतरण व बंटवारा करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत है ।

निगरानी के आधार

01. यह कि, व्यवहार न्यायालय की डिक्री का निष्पादन सीधे राजस्व अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। आदेश 20 नियम 18 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

निरंतर..........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/2815

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखलाक कुरैशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	